न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 20021/94

दायरा दिनांक : 09.04.2021

उनवान

1– मांगीलाल आत्मज भैरूलाल, जाति कुल्मी, निवासी रीझोन, तहसील बकानी जिला झालावाड़ राज.
2– केवलचन्द आत्मज बालचन्द, जाति कुल्मी, निवासी रीझोन, तहसील बकानी जिला झालावाड़ राज.
3– गिरिराज आत्मज बालचन्द, जाति कुल्मी, निवासी रीझोन, तहसील बकानी जिला झालावाड़ राज.
4– रामबाबू पुत्र बालचंद, जाति कुल्मी, निवासी रीझोन, तहसील बकानी जिला झालावाड़ राज.

.... अपीलांट

बनाम

1– धापूबाई पुत्री रतनलाल, जाति कुल्मी, निवासी रीझोन, तहसील बकानी जिला झालावाड़ राज.
2– ओम प्रकाश आत्मज रामनारायण, जाति कुल्मी, निवासी रीझोन, तहसील बकानी जिला झालावाड़ राज.
3– फूलचंद आत्मज भंवरलाल, जाति कुल्मी, निवासी रीझोन, तहसील बकानी जिला झालावाड़ राज.
4– बद्रीलाल आत्मज भंवरलाल, जाति कुल्मी, निवासी रीझोन, तहसील बकानी जिला झालावाड़ राज.
5– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बकानी, तहसील बकानी, जिला झालावाड राज.

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 225
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री राम माहेश्वरी अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री विजय कुमार जैन एवं श्री महेन्द्र सिंह अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय

दिनांक : 07.06.2024

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड के प्रकरण संख्या 336/प्रार्थना पत्र/2019 निर्णय दिनांक 22.03.2021 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण रेस्पोडेंटगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि प्रार्थीया कम 1 के खाते की आराजी वाके ग्राम रिझोन, पटवार हल्का रिझोन, तहसील बकानी, जिला झालावाड राज. की खाता संख्या 57 नया, 56 पुराना की कुल किता 16 की कुल रकबा 3.6795 हेक्टर आराजी खाते दर्ज है। जिसमें खसरा नं. 806 रकबा 0.0379 हेक्टर, खसरा नं. 808 रकबा 0.6702 हेक्टर, 810 रकबा 0.2529 हेक्टर, खसरा नं. 811 रकबा 0.0379 हेक्टर व खसरा नं. 812 रकबा 0.1770 हेक्टर आराजी भी शामिल है। प्रार्थी कम 2 लगायत 4 के खाते की आराजी वाके ग्राम गोपालपुरा, पटवार हल्का रिझोन, तहसील बकानी, जिला झालावाड राज. की खाता संख्या 36 नया, 35 पुराना की खसरा नं. 181 रकबा 0.2150 हेक्टर, खसरा नं. 182 रकबा 0.0379 हेक्टर, 183 रकबा 1.0495 हेक्टर, खसरा नं. 188 रकबा 0.0379 हेक्टर व खसरा नं. 190 रकबा 0.0126 हेक्टर कुल किता 5 की कुल रकबा 1.3529 हेक्टर भूमि अवस्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड ने अपने निर्णय दिनांक 22.03.2021 से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.एक्ट के तहत स्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि प्रत्यर्थी कम 1 लगायत 4 ने इस आशय का प्रार्थना पत्र पेश किया कि ग्राम रिझोन, पटवार हल्का रिझोन, तहसील बकानी, जिला झालावाड राज. की खाता संख्या 57 की कुल किता 16 की कुल रकबा 3.6795 हेक्टर आराजी खाते दर्ज है। जिसमें खसरा नं. 806 रकबा

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

0.0379 हेक्टर, खसरा नं. 808 रकबा 0.6702 हेक्टर, 810 रकबा 0.2529 हेक्टर, खसरा नं. 811 रकबा 0.0379 हेक्टर व खसरा नं. 812 रकबा 0.1770 हेक्टर आराजी भी शामिल है। प्रार्थी कम 2 लगायत 4 के खाते की आराजी वाके ग्राम गोपालपुरा, के खाता संख्या 36 के 5 किता की 1.3529 हेक्टर भूमि स्थित है। प्रार्थीगण ग्राम रीझोन निवास से अपने खाते की उक्त प्रश्नगत आराजी में आने–जाने के लिए वर्षो से अन्य व्यक्तियों की आराजी के साथ साथ अप्रार्थीगण की आराजी ग्राम रीझोन की खसरा सं. 834 व अन्य खाते की खसरा सं. 864 की मेड व उसके बाद खसरा सं. 833 की मेड जो ग्राम गोपालपुरा के काकड से लगी हुई है पर से होते हुए नाले पर बनाये अस्थाई रास्ते से होते हुए अपनी आराजी पर आते जाते हैं तथा हल, कुली, बैल, कृषि उपकरण, सामान भी इसी रास्ते से लाते ले जाते हैं। खसरा सं. 864 के खातेदार ने अपनी मेड से आने जाने का रास्ता दे रखा है। अप्रार्थी कम 1 लगायत 4 ने आपसी समझ से अपनी आराजी का मौके पर बंटवारा कर रखा है जिसके अनुसार खसरा सं. 834 व 835 पर अप्रार्थी कम 1 काबिज है। गत वर्ष अप्रार्थी कम 1 ने खसरा सं. 834 व 835 से होकर गुजरने वाला रास्ता बन्द किया इस पर दिनांक 03.10.2018 को लिखित में मांगीलाल ने 10 फीट का रास्ता दिया जाना कबूला व इसके एवज में रास्ते के बाद प्रार्थीगण के द्वारा अप्रार्थी कम 1 की फसल की सुरक्षा हेतु चार फीट ऊचीं कारन्डी दीवार बनाने का वादा किया किन्तु अप्रार्थी अपनी बात से मुकर गया अप्रार्थी द्वारा ऐसा करने पर अप्रार्थी कम 5 के कार्यालय में रास्ता खुलासा करवाये जाने का प्रार्थना पत्र दिया, जिस पर दिनांक 26.07.2019 को धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। जिस पर प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जिसका जवाब अपीलांट द्वारा प्रस्तुत कर रेस्पोडेंट के पास वैकल्पिक रास्ता विद्यमान होना और उससे होकर अपने खाते की आराजी पर पहुंचने के कथन किये गये लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना साक्ष्य लिये मात्र तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर रेस्पोडेंट का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी के खाते की आराजी में 13 फीट चौडा रास्ता कीमतन दिये जाने के आदेश दिये गये जिससे व्यथित होकर यह अपील निम्न कारणों से पेश है –

अधीनस्थ न्याालय का निर्णय मनमाना केप्रिशियस तथा परर्वस होने से अपास्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गलत तौर से रेस्पोडेंट के पास वैकल्पिक रास्ता मौजूद होते हुए भी उनके खाते की आराजी में नया रास्ता कायम किये जाने के आदेश देकर कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना साक्ष्य लिये प्रकरण का निस्तारण कर कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की पालना न कर प्रकरण का निस्तारण बिना साक्ष्य लिये कर कानूनी भूल की है जो खारिज होने योग्य है। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी /रेस्पोडेंट कम 2 लगायत 4 के खाते की आराजी वाके ग्राम गोपालपुरा, के खाता संख्या 36 के 5 किता की 1.3529 हेक्टर भूमि स्थित है। प्रार्थीगण ग्राम रीझोन निवास से अपने खाते की उक्त प्रश्नगत आराजी में आने–जाने के लिए वर्षो से अन्य व्यक्तियों की आराजी के साथ साथ अप्रार्थीगण की आराजी ग्राम रीझोन की खसरा सं. 834 व अन्य खाते की खसरा सं. 864 की मेड व उसके बाद खसरा सं. 833 की मेड जो ग्राम गोपालपुरा के काकड से लगी हुई है पर से होते हुए नाले पर बनाये अस्थाई रास्ते से होते हुए अपनी आराजी पर आते जाते हैं तथा हल, कुली, बैल, कृषि उपकरण, सामान भी इसी रास्ते से लाते ले जाते हैं। वैकल्पिक रास्ता मौजूद है जिससे निकलते रहे है। लेकिन न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड द्वारा तहसीलदार, बकानी की रिर्पोट के आधार पर जो निर्णय किया है। वह त्रुटिपूर्ण है। जमीन हमेशा से ही काश्त होती रही है। तहसीलदार, बकानी द्वारा किसी भी पक्ष की कोई Evidance नहीं ली गई अतः अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि 251 (ए) में Evidance लेने का कोई प्रावधान नहीं है। यदि अपीलांट काश्त करने का कथन करते है तो इनके द्वारा खसरा गिरदावरी पेश करनी चाहिए थी। अपीलांटगण ग्राम पंचरायत की रिर्पोट से सहमत थे। अतः अपील खारिज की जावें।

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अभिभाषक रेस्पोडेंट के कथनों का खण्डन करते हुये कहा है कि मौका पक्षकारान् की उपस्थिति में देखा गया है। वादी की जिम्मेदारी थी कि प्रश्नगत आराजी को पडत साबित करते । अतः अतः अपील स्वीकार की जावें।

हमने अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रार्थी/रेस्पोडेंट कम 2 लगायत 4 के खाते की आराजी वाके ग्राम गोपालपुरा, के खाता संख्या 36 के 5 किता की 1.3529 हेक्टर भूमि स्थित है। जिस पर प्रार्थी/रेस्पोडेंट खसरा सं. 834 व अन्य खाते की खसरा सं. 864 की मेड व उसके बाद खसरा सं. 833 की मेड जो ग्राम गोपालपुरा के काकड से लगी हुई है पर से होते हुए नाले पर बनाये अस्थाई रास्ते से होते हुए अपनी आराजी पर आते जाते है। तहसीलदार बकानी की मौका रिपोर्ट दिनांक 30–12–2020 का अवलोकन किया गया जिस पर प्रतिवादी/अपीलांट फूलचन्द, रामबाबू तथा सत्यनारायण (प्रतिवादी पुत्र) एवं वादी रेस्पोडेंट जगदीश (प्रार्थिया धापूबाई का पुत्र), बद्रीलाल के हस्ताक्षरार्थ मौजूद है। राजस्व रेकार्ड के अनुसार उक्त खसरा नम्बरों के समीप किसी भी प्रकार का रास्ता उपलब्ध नहीं है जो इन खसरा नम्बरों से जुडा हुआ है।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपील एवं बहस में वैकल्पिक रास्ता मौजूद होने का कथन किया है लेकिन इस बाबत् अभिभाषक अपीलांट द्वारा कोई राजस्व रेकार्ड इस न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह सिद्ध होता है कि पूर्व से ही वैकल्पिक रास्ता प्रश्नगत आराजी आने जाने के लिए मौजूद था। धारा 251 ए में संक्षिप्त विचारण प्रकिया (Summary Trial) के तहत् निर्णय किये जाने का प्रावधान है, जिसमें साक्ष्य का प्रावधान नहीं है बल्कि तहसीलदार व स्वयं पीठासीन अधिकारी द्वारा मौका निरीक्षण कर निर्णय किये जाने का प्रावधान है। उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार व स्वयं द्वारा मौका निरीक्षण कर निर्णय पारित किया है जो हमारी राय मे विधि अनुरूप होने से उचित है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है उसमें हम किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.03.2021 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

7/06/2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा